

Continuation Note Sheet

08-7-20

प्राथीया द्वारा करिब ३० दिनों के पत्रों का प्रस्ताव करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्राथीया द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. १ का आपस में राजीनामा हो गया है। वाद को आज की पेशी में दारिद्वल दफ्तर किया जावे।

प्राथीया/वादीया द्वारा वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर ^{वाद} बकीया इसी स्टेज पर दारिद्वल दफ्तर किया जाता है। पत्रावली वाद तकमील जाठता दारिद्वल अभिलेखागार हो।

(उमेश सिंह शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीगंगानगर